



# कार्यालय जिला पंचायत, दुर्ग (छ.ग.)

E-mail [id-dmmudurg@gmail.com](mailto:id-dmmudurg@gmail.com) Phone No- 0788-2211933



## “विज्ञापन”

File No.:GENCOR/6986/2026-CEO ZP NRLM FM SEC DUR

क्र./ / जि.पं.-1 / NRLM / 2026

दुर्ग, दिनांक / / 2026

मिशन संचालक, SRLM, विकास आयुक्त कार्यालय, SRLM प्रकोष्ठ, विकास भवन, सेक्टर 19, द्वितीय तल, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर अटल नगर, छत्तीसगढ़ का आदेश ESTB/1107/2025-Section CGSRLM, दिनांक-23.02.2026 के परिपेक्ष्य में छ.रा.ग्रा.आ.मि. अंतर्गत जनपद स्तर के कार्यालयों में रिक्त संविदा पद विकासखंड परियोजना प्रबंधक एवं क्षेत्रीय समन्वयक पदों पर भर्ती हेतु वांछित अर्हताधारी एवं इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन दिनांक 09.04.2026 को कार्यालयीन समय 5.30 बजे तक विज्ञापन में दर्शित शैक्षणिक योग्यता, आवश्यक दस्तावेजों तथा नवीनतम स्व-प्रमाणित फोटो के साथ कार्यालय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत दुर्ग जिला दुर्ग छ.ग.के पते पर पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से आमंत्रित किया जाता है। व्यक्तिगत रूप से सीधे आवेदन अथवा ई-मेल अथवा अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से स्वीकार नहीं किये जावेंगे एवं अंतिम तिथि के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र को स्वयं निरस्त माना जावेगा।

### अ/ पदों का विवरण:-

क्र.	रिक्त पद का नाम	कुल पद	रिक्त पद की वर्गवार जानकारी			
			अनारक्षित (मुक्त)	अ.पि.वर्ग (मुक्त)	अनुसूचित जनजाति (मुक्त)	अनुसूचित जाति (मुक्त)
01	विकासखंड परियोजना प्रबंधक	2	0	1	1	0
02	क्षेत्रीय समन्वयक	1	0	1	0	0

### ब/ पदवार शैक्षणिक अर्हता, अनुभव व मेरिट अंक का विवरण :-

क्र.	पदनाम	एकमुश्त मासिक वेतन (रु. में)	शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव	मेरिट हेतु अंक निर्धारण (कुल अंक 100)	
				विवरण	अंक
1	विकासखंड परियोजना प्रबंधक	39,875	शिक्षा – 1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से स्नातकोत्तर उपाधि / द्विवर्षीय डिप्लोमा। अनुभव – स्नातकोत्तर उपाधि उपरांत विकासखंड / क्लस्टर स्तर के प्रबंधकीय / समन्वयक पद का न्यूनतम 02 वर्ष का केंद्र / राज्य शासन / लोकल बॉडी / गवर्नमेंट एडेड संस्था (नीति आयोग के वेबसाइट में सूचीबद्ध संस्था) अंतर्गत ग्रामीण विकास / गरीबी उन्मूलन / आजीविका सम्बन्धित क्षेत्र का प्रासंगिक कार्यानुभव।	स्नातकोत्तर में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए स्नातक में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए बारहवीं में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए न्यूनतम वांछित अनुभव के पश्चात प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव 02 अंक एवं अधिकतम 10 अंक छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव के लिए 01 अंक एवं अधिकतम 05 अंक साक्षात्कार	35 20 15 10 05 15
2	क्षेत्रीय समन्वयक	26,490	शिक्षा – 1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि। 2. मान्यता प्राप्त संस्था / विश्वविद्यालय से कंप्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा / सर्टिफिकेट। अनुभव – स्नातक उपाधि उपरांत विकासखंड / क्लस्टर स्तर के प्रबंधकीय / समन्वयक पद का न्यूनतम 01 वर्ष का केंद्र / राज्य शासन / लोकल बॉडी / गवर्नमेंट एडेड संस्था (नीति आयोग के वेबसाइट में सूचीबद्ध संस्था) अंतर्गत ग्रामीण विकास / गरीबी उन्मूलन / आजीविका सम्बन्धित क्षेत्र प्रासंगिक कार्यानुभव।	स्नातक में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए बारहवीं में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए दसवीं में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए न्यूनतम वांछित अनुभव के पश्चात प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव 02 अंक एवं अधिकतम 10 अंक छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव के लिए 01 अंक एवं अधिकतम 05 अंक लिखित/कौशल परीक्षा	35 20 20 10 05 10

**नियम एवं शर्तें:-**

1. निर्धारित प्रारूप में आवेदन सिर्फ पंजीकृत/स्पीड डाक के माध्यम से दिनांक 09.04.2025 तक कार्यालयीन दिवस एवं समय पर जिला पंचायत दुर्ग कार्यालय में ही स्वीकार किये जावेंगे। अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।
2. रिक्त पद के लिये निर्धारित संलग्न प्रारूप में आवेदन करना अनिवार्य है। साथ ही पत्राचार हेतु एक खाली लिफाफा 5 रु. डाक टिकट सहित स्वयं का पता लिखा आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।
3. लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम का स्पष्ट उल्लेख किया जावे, अन्यथा आवेदन निरस्त किया जावेगा। एक से अधिक पद हेतु आवेदन करने की स्थिति में प्रत्येक पद हेतु पृथक-पृथक आवेदन करना होगा।
4. आयु न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु सीमा छूट के संबंध में छत्तीसगढ़ निवासियों एवं विभिन्न वर्गों के लिये समय-समय पर जारी निर्देश के अनुरूप छूट की पात्रता होगी। आयु की गणना 1 जनवरी, 2026 के आधार पर की जायेगी।
5. आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य हैं। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति एवं निवास प्रमाण पत्र ही मान्य किये जावेंगे।
6. निःशक्तजन को मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. आवेदन में आवेदक का फोटो एवं समस्त प्रमाण-पत्र तथा अंकसूची स्वप्रमाणित सत्यापित होना आवश्यक है।
8. संविदा नियुक्ति एक वर्ष के लिये होगी। तत्पश्चात आवश्यकता होने पर कार्ययोग्यता, कार्यक्षमता, वार्षिक कार्य मूल्यांकन (Annual Performance Appraisal) एवं व्यवहार के आधार पर शासन के निर्देशानुसार दोनो पक्षों की सहमति से कार्य अवधि एक वर्ष निरंतर रखे जाने पर विचार किया जा सकता है।
9. यह नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रं. एफ. 9-1/2012/1-3 दिनांक - 31 दिसंबर 2012 के अनुसार संविदा नियुक्ति के संबंध में समस्त शर्तें लागू होगी।
10. संविदा अवधि में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के तहत अवकाश की पात्रता होगी।
11. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होंगे।
12. संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष के द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
13. सेवा समाप्ति पश्चात् संविदा अधिकारी/कर्मचारी के रूप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार की पेंशन, उपादान या मृत्यु-लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।
14. जिले में प्राप्त कुल आवेदन पत्रों को मेरिट आधार पर सूचीबद्ध किया जायेगा और उनको साक्षात्कार / लिखित / कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जायेगा तद्उपरांत साक्षात्कार / लिखित / कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों को जोड़ते हुए अंतिम चयन सूची तैयार किया जावेगा।
15. अनुभव प्रमाण-पत्र (आवेदित पद हेतु निर्धारित योग्यता से संबंधित हो) केवल केंद्र / राज्य शासन / लोकल बाँडी / गवर्नमेंट एडेड संस्था (नीति आयोग के वेबसाइट में सूचीबद्ध संस्था) के ही मान्य होंगे। पद से संबंधित क्षेत्र का प्रासंगिक अनुभव होने पर ही अभ्यर्थी को नियमानुसार अनुभव अंक प्रदान किये जायेंगे।
16. आवेदन करने के समय अनुभव प्रमाण-पत्र जारी करने वाले संस्थान का नाम पूर्ण पता व अनुभव हेतु जारी कार्यालय आदेश क्रमांक, दिनांक एवं जारीकर्ता अधिकारी का नाम एवं पदनाम, संपर्क हेतु सम्बंधित का दूरभाष नंबर तथा ईमेल की जानकारी अनिवार्य रूप से दिया जावे। अन्यथा इसके अभाव में आवेदक द्वारा दिये गये अनुभव को मान्य न करते हुए अपात्र की श्रेणी में रखा जायेगा- जिसके लिये आवेदक ही स्वयं जिम्मेदार होगा। साथ ही शासकीय अनुदान प्राप्त गैर-शासकीय संस्था से जारी अनुभव प्रमाण-पत्र हेतु आवेदक को समस्त कार्य अवधि का प्रमाणित पे-स्लीप/बैंक स्टेटमेंट प्रस्तुत करना अनिवार्य है। पदवार अनुभव हेतु प्रस्तुत दस्तावेज मान्य /अमान्य किये जाने के संबंध में अंतिम निर्णय चयन समिति के पास सुरक्षित होगा।
17. छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का पद से सम्बंधित समकक्ष कार्यानुभव रखने वाले अमले को अनुभव के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिये 01 अंक एवं अधिकतम 05 अंक प्रदाय किया जावेगा।
18. शैक्षणिक योग्यता, अनुभव का अंक एवं साक्षात्कार / लिखित / कौशल परीक्षा में प्राप्त अंक को मिलाकर सर्वोच्च अंक अर्जित करने वाले आवेदक को नियुक्ति दिया जावेगा। भविष्य में पद रिक्त होने पर उसे प्रतीक्षा सूची से भरा जावेगा। जो कि अंतिम चयन सूची जारी होने के दिनांक से 01 वर्ष के लिए मान्य होगी।

19. यदि किसी आवेदक के अंकसूची में प्रतिशत अंक उल्लेखित न होकर सिर्फ ग्रेड दिया गया हो तो उन आवेदकों को उस ग्रेड का औसत प्रतिशत अंक प्रदान किया जावेगा। उदाहरण के लिए यदि किसी आवेदक को 8वीं में ए ग्रेड मिला हो तथा ए ग्रेड 80 से 90 प्रतिशत तक हो तो उस आवेदक के अंक को 85 प्रतिशत मानकर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
20. समान अंक पाने वाले अभ्यर्थियों की पारस्परिक वरीयता उनके उम्र के आधार पर निर्धारित की जावेगी, जिसके अनुसार अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी का चयन पहले किया जावेगा।
21. शासकीय एवं अन्य वांछित संस्थाओं में कार्यरत आवेदक द्वारा अपना आवेदन पत्र उचित माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जावेगा।
22. ऐसे आवेदक जिन्हें पूर्व में सेवा अनुशासनहीनता / अनुचित व्यवहार / स्वेच्छाचारिता या अनियमितता के आधार पर छत्तीसगढ़ आजीविका संवर्धन समिति से अथवा अन्य किसी भी शासकीय विभाग द्वारा किसी भी पद से पृथक किया गया हो चयन के लिए पात्र नहीं होंगे। गलत जानकारी दिये जाने पर उम्मीदवारी निरस्त मानी जावेगी।
23. अपूर्ण / अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा एवं पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी।
24. आवेदक जिसने विवाह के लिये निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।
25. पदों की संख्या में परिवर्तन संभावित है।
26. विज्ञापन में पदवार जिले का आरक्षण रोस्टर लागू होगा। जिला नियुक्ति के पूर्व आरक्षित पदों का मिलान जिला स्तरीय आरक्षण रोस्टर से करने के पश्चात् ही नियुक्ति आदेश जारी करेंगे।
27. विज्ञापन एवं आवेदन पत्र का विस्तृत प्रारूप जिला पंचायत दुर्ग छ.ग. के सूचना पटल, जिला प्रशासन दुर्ग के वेबसाइट [www.durg.gov.in](http://www.durg.gov.in) से अवलोकन/डाउनलोड किया जा सकता है।
28. कुल प्राप्त आवेदनों को निर्धारित मापदंडों के अनुसार परिक्षण उपरान्त पात्र अपात्र की सूची तैयार कर दावा आपत्ति हेतु जिले के वेबसाइट में अपलोड कर जिले पंचायत के नोटिस बोर्ड में चस्पा की जाएगी। भर्ती सम्बन्धी समस्त सूचनाएं केवल कार्यालय जिले पंचायत के सूचना पटल एवं जिले के वेबसाइट [www.durg.gov.in](http://www.durg.gov.in) के माध्यम से प्रसारित की जावेगी। अतः इसका नियमित अवलोकन किये जावें।
29. यदि आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियुक्ति प्रक्रिया में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करता है या प्रभावित करने की कोशिश करता है, तो अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।
30. भर्ती प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लिये जाने का अधिकार जिला स्तरीय चयन समिति के पास सुरक्षित रहेगा।
31. मिशन संचालक, SRLM, विकास आयुक्त कार्यालय, अटल नगर नवा रायपुर के निर्देशानुसार नियमों में परिवर्तन मान्य है।

**(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)**

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,  
जिला पंचायत दुर्ग (छ.ग.)



## संविदा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

आवेदित पद का नाम .....

जिला का नाम दुर्ग

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जिला पंचायत- दुर्ग

पिनकोड- .....

अभ्यर्थी  
स्व-प्रमाणित  
फोटो  
चिपकाये

1. अभ्यर्थी का नाम – अ. हिन्दी में :.....  
ब. अंग्रेजी में :.....
2. पिता/पति का नाम :.....
3. लिंग (महिला/पुरुष/तृतीय लिंग) :.....
4. जन्म तिथि अ. अंको में :.....  
ब. शब्दों में :.....  
स. दिनांक 01.01.2026 को आयु वर्ष :.....माह .....दिन.....

**(हाई स्कूल सर्टिफिकेट 10 वीं परीक्षा का प्रमाण पत्र संलग्न करें)**

5. वर्ग ( अनु.जाति/अनु.जनजाति/अ.पि.व./सामान्य):.....
6. पत्र व्यवहार का वर्तमान पता (हिन्दी में) :.....  
:.....  
:.....
7. स्थायी पता (हिन्दी में) :.....  
:.....  
:.....  
:.....
8. मोबाईल नंबर :.....
9. ई-मेल आईडी :.....
10. आधार नंबर :.....
11. शैक्षणिक योग्यता – (शैक्षणिक योग्यता प्रमाणपत्रों की सत्यापति छायाप्रति संलग्न करें)

क्र.	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	परीक्षा में सम्मिलित विषय/विषय समूह का नाम	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	प्राप्तांक/पूर्णांक	प्रतिशत
1						
2						
3						
4						
5						
6						

## 12. अनुभव का विवरण :-

क्रं.	संस्था का नाम	पदनाम	अनुभव समयावधि			
			दिनांक से	दिनांक तक	वर्ष	मह
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						

## 13. वैवाहिक स्थिति :-

(क). विवाहित/अविवाहित :.....

(ख). विवाहित होने पर निम्न जानकारी भरा जावे :-

विवाह का दिनांक :.....

(ग). परिवार के संतान का विवरण :.....

क्रं.	नाम	पुत्र/पुत्री	जन्म दिनांक
1			
2			
3			

## संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची :-

अनिवार्य अनुभव हेतु सैलरी स्लिप/बैंक स्टेटमेंट

1. .... 6. ....
2. .... 7. ....
3. .... 8. ....
4. .... 9. ....
5. .... 10. ....

स्थान :- .....

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

दिनांक :- .....

नाम - .....

घोषणा पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त समस्त जानकारीया पूर्ण एवं सत्य है। चयन होने तथा भविष्य में किसी भी स्तर पर असत्य पाये जाने पर मेरी सेवाएं समाप्त कर मेरे विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार होगा।

स्थान :- .....

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

दिनांक :- .....

नाम - .....